भारत सरकार

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं0 4080

12 दिसंबर, 2019 को उत्तर के लिए

vksñMhñ,Qñ dh vafre le;&lhek

4080- Jh Hkksyk flag%
MkWñ t;ar dqekj jk;%
MkWñ lqdkUr etwenkj%
Jh jktk vejs'oj ukbZd%
Jh lkSfe= [kku%
Jherh laxhrk dqekjh flag nso%
D;k **vkoklu vkSj 'kgjh dk;Z** ea=h ;g crkus dh d`ik djsaxs fd%

¼d½ D;k ljdkj us 'kgjksa ds fy, vksñMhñ,Qñ+ vkSj vksñMhñ,Qñ++ +ntkZ izkIr djus ds fy, dksbZ vafre le;&lhek fuèkZfjr dh gS vkSj ;fn gka] rks rRlacaèkh C;kSjk D;k gS(
¼[k½ mu 'kgjksa ds uke D;k g® ftUgksaus vksñMhñ,Qñ+ vkSj vksñMhñ,Qñ++ +ntkZ izkIr dj fy;k gS(
¼x½ D;k ljdkj ds ikl lkoZtfud 'kkSpky;ksa esa lSfuVjh usifdu miyCèk djkus dk dksbZ izLrko@izkoèkku fopkjkèkhu gS vkSj ;fn gka] rks rRlacaèkh C;kSjk D;k gS(vkSj
¼?k½ ns'k esa LoPNrk lqfuf'pr djus gsrq ljdkj }kjk mBk, tk jgs dneksa dk C;kSjk D;k gS\

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री हरदीप सिंह पुरी)

(क) : खुले में शौच से मुक्ति (ओडीएफ) के लिए निर्धारित अंतिम समय सीमा 31.03.2020 है । तथापि सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने अपने आप को पहले ही ओडीएफ घोषित किया है। ओडीएफ+ अथवा ओडीएफ++ के लिए कोई समय सीमा

निर्धारित नहीं की गई है। हालांकि सरकार सभी शहरों से उनके ओडीएफ स्थिति प्राप्त करने पर उच्चतर प्रमाणन/ स्थिति को प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित कर रही है ।

(ख) : ओडीएफ+ (एक बार) और ओडीएफ++ (एक बार) के रूप में प्रमाणित शहरों के नाम संलग्न हैं ।

(ग) : ओडीएफ+ स्थिति के लिए सामुदायिक शौचालय-सार्वजनिक शौचालय (सीटी-पीटी) स्वच्छता प्रोटोकाल में सैनेटरी नेपकिन की व्यवस्था करने की सलाह दी गई है ।

(घ) : शहरी क्षेत्रों में सुरक्षित और दीर्घकालिक स्वच्छता सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए/उठाए जा रहे कदमों में निम्नलिखित शामिल हैं:-

(i) 6095635 व्यक्तिगत पारिवारिक शौचालय (आईएचएलएएल) और 561298 सामुदायिक/सार्वजनिक शौचालय (सीटी-पीटी) का निर्माण कर लिया गया है ।

(ii) सरकार ने '' फेसल स्लज एंड सेप्टेज मैनेजमेंट (एफएसएसएम) नीति, 2017'' जारी की है जिसमें शौचालयों से निकलने वाली गाद (फेसल) के सुरक्षित प्रबंधन (एकत्रीकरण, परिवहन और प्रसंस्करण) समाधान किया गया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अशोधित गाद खुले नालों, जलाशयों अथवा खुले स्थानों पर नहीं जाए ।

(iii) सार्वजनिक शिक्षा और व्यापक प्रचार और लोगों के व्यवहार को बदलने के लिए मल्टी मीडिया अभियान चलाए गए हैं ।

(iv) अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत) के तहत बल दिए जाने वाले 5 क्षेत्रों में से एक क्षेत्र सीवरेज और सेप्टेज प्रबंधन है जिसके लिए राज्य वार्षिक कार्रवाई योजना की विधिवत अनुमोदित परियोजनाओं का वित्त पोषण किया जाता है। वित्त पोषित परियोजनाओं में विद्यमान/पुरानी सीवरेज प्रणाली और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांटों (एसटीपी) में वृद्धि और पुन: स्थापना सहित सीवरेज सिस्टम का विकेंद्रीकृत नेटवर्क शामिल हैं।